छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक–158 प्रकरण क्रमांक–**M-ALL-2025-02787**

आवेदक :– श्री कमल कुमार सिंग, पता–मायापुर, पंचदेव मंदिर, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.) **विरूद्ध** (1) श्री सुधीर सिंग, पता–सत्तीपारा, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा, (छ.ग.) (2) श्री मनीष सिंग, पता–नमनकला, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)

प्रोजेक्ट– ''कोणार्क रेसीडेन्सी–2'',पता–अंबिकापुरी, जिला–सरगुजा (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
25 / 06 / 2025	– प्रकरण प्रस्तुत। – आवेदक स्वतः उपस्थित। – अनावेदकगण द्वारा प्रतिनिधि श्री प्रमोद चौधरी उपस्थित। – आवेदक द्वारा भू–सपंदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–31, नियम–35 के अधीन अनावेदकगण के विरूद्ध ऑनलाईन शिकायत प्रस्तुत किया गया है। – आवेदक का कथन है कि वास्तव में अनावेदकगण द्वारा एस.टी. प्लॉट पर अपार्टमेंट बनाये गये थे, जिसे प्लॉट मालिक द्वारा कभी विक्रय नहीं किया गया है और अनावेदकगण द्वारा किसी प्रकार से उस पर कब्जा कर लिया गया। यहाँ तक जमीन के वास्तविक मालिक को मुआवजा दिये बिना उसे सामान्य प्लॉट के रूप में विक्रय किया गया है। आवेदक द्वारा प्राधिकरण से अनुतोष चाहा गया है कि उन्होंने बिना किसी मुआवजे के उसका प्लॉट विक्रय कर दिया गया है, इसलिये अपना जमीन का वापस किया जाये। – प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक आबंटिती नहीं है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि अनावेदकगण द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के किस प्रावधान का उल्लंघन किया गया है। अस्तु प्राधिकरण द्वारा प्रकरण को खारिज किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में जमा किया जाये। सही / – (धनंजय देवांगन) सदस्य सही / – (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	